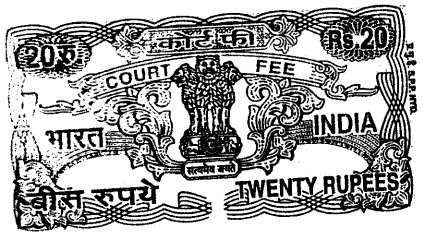


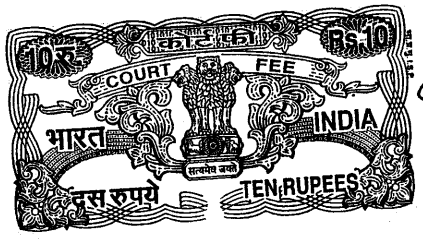


173

-1-

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 निग-3376-I-16 / जिला-शिवनी

रामकुमार पिता अनेकलाल जाति गौंड
निवासी ग्राम उड़ैपानी तहसील
व जिला शिवनी म0प्र0 ----- आवेदक

**विरुद्ध**

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, शिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवनी के प्रकरण क्रमांक 3/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2016 से व्यथित होकर ।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, शिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के नाम पर ग्राम अतरी प.ह.नं. 26 में भूमि खसरा नं. 340 एवं 386/1 रकबा क्रमशः 1.91 एवं 0.07

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

(2)

प्रकरण कमांक निग0 3376 –एक/16

जिला – सिवनी

| दिनांक तथा क्रमांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29.9.16 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम अतरी प.ह.नं. 26 खसरानं. 340 रकबा 1.91 एवं खसरा नं. 386/1 रकबा 0.07 एवं ग्राम नयेगांव प.ह.पनं. 58 खसरा नं. 798/2 रकबा 0.45 एवं खसरा नं. 808 रकबा 0.32 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर आवेदक को अनुमति प्रदान किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुतभूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक ने जो कारण बताए हैं उनके संबंध में ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कए हैं तथा उसके पास 10 एकड़ से कम भूमि बच रही है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है । आवेदित भूमि 40–50 कि.मी. दूर है आवेदक के पास शेष बच रही 2.40 हैक्टर भूमि सिंचित है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ।<br><br>3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि | |

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सिवनी

प्रकरण क्रमांक निग0 3376 –एक / 16

| ... तथा ... | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा क्रय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.40 हैक्टर अर्थात 5.00 एकड़ से अधिक भूमि भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।<br><br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को ग्राम अतरी प.ह.नं. 26 | |

R-3376-II/16



| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकार |
|---|---|---|
| | खसरा नं. 340 रकबा 1.91 एवं खसरा नं. 386/1 रकबा 0.07 एवं ग्राम नयेगांव प.ह.नं. 58 खसरा नं. 798/2 रकबा 0.45 एवं खसरा नं. 808 रकबा 0.32 हैक्टर गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।<br>1— यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016—17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।<br>2— केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।<br>3— उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।<br>4— भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।<br>पक्षकार सूचित हों ।<br>(एम0के0 सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश<br>ग्वालियर | |

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सिवनी

प्रकरण कमांक – निगरानी 3376–एक/16

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9–2–17 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संहिता की 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । आवेदक तथा उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री डी0के0शुक्ला को आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 29–9–16 को आदेश पारित कर आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 4 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विकयपत्र का पंजीन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण आवेदक इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में गैर आदिवासी के हक में भूमि का विकयपत्र निष्पादित नहीं करा सका है और उक्त समयसीमा दिनांक 29–1–17 को समाप्त हो गई गई है । इस संबंध में आवेदक ने अपना शपथपत्र पेश किया है तथा निवेदन किया कि उसे 4 माह का समय विकयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का निवेदन किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29–9–16 में विकयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई 4 माह की अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।<br><br>सदस्य | |